प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय,
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 018

परिपत्र-03

दि. 11.04.2022

सं.प्रनिलेप(के)/दावा ।।/ यूनिट-V/ 2022-23/03

तैयार निर्मित घर/फ्लैट की खरीद एवं गृह के निर्माण या बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए गृह ऋण के अन्तरण के लिए "गृह निर्माण अग्रिम" के लिए इस कार्यालय के पदधारियों से आवेदन की मांग की जाती है।

1. सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।
2. जिन पदधारियों की कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा रही हो।
3. भूमि का अधिकार पत्र स्पष्ट होना चाहिए।
4. सरकारी कर्मचारी को उनकी पूरी सेवा काल के दौरान केवल एक ही अग्रिम की मंजूरी दी जाएगी।
5. ऐसे मामलों में जहां पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों एच बी ए के अनुदान के लिए पात्र हैं, तो दोनों को संयुक्त/पृथक रूप से अग्रिम स्वीकार्य होंगे।
6. अग्रिम की अधिकतम राशि मूल वेतन के 34 महीने के बराबर होगी बशर्तें कि पुनर्भुगतान क्षमता या गृह/फ्लैट की लागत या निर्माण की लागत या बैंक/अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए बकाया गृह ऋण की राशि या रू. 25 लाख जो भी न्यूनतम हो।
7. पुनर्भुगतान क्षमता की गणना क्रमश: 40 % मूल वेतन - मूल वेतन के 50% तक अधिकारी/कर्मचारियों के शेष सेवाकाल पर निर्भर करता है।
8. गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर ऋण के संवितरण के समय लागू दरों पर होगा ।
9. तैयार निर्मित/फ्लैट/गृह के मामले में अग्रिम राशि का एक मुश्त संवितरण होगा और गृह निर्माण के लिए दो किश्तों में प्रत्येक के लिए @50% रहेगा।
10. तैयार निर्मित/फ्लैट/गृह अग्रिम को आहरण से तीन महीने के अंदर राष्ट्रपति की ओर से सरकार को गिरवी रखना होगा। मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से गृह/फ्लैट या निर्माण की शेष लागत पूरा करने पर दूसरे प्रभार की अनुमति दी जाएगी।
11. बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थानों से मौजूदा गृह ऋण से अन्तरण पर सरकारी कर्मचारियों के मामले में, कर्मचारी एचबीए के अनुदान के लिए पात्र होंगे, जिस दिन उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से

ऋण प्राप्त किया था, भले ही उन्होंने कर्ज लेने से पहले एचबीए के लिए आवेदन किया हो।, एच बी ए को जारी करने की तारीख से एक महीने के अंदर एच बी ए व्यवहार्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है।

12. तैयार गृह/फ्लैट की खरीद के बाद या निर्माण की समाप्ति पर यह मान्यता प्राप्त बीमा संस्थानों के साथ बीमाकृत होनी चाहिए जो कि आग, बाढ़, बिजली आदि के समक्ष में - अग्रिम राशि से कम न होनी चाहिए।
13. एच बी ए की मदद से गृह/फ्लैट निर्मित/अर्जित को केवल आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए।
14. अधिकारी/कर्मचारी जो अग्रिम लेने के इच्छुक हैं वे 20 अप्रेल 2022 तक या उससे पहले अनुलग्नक में निर्धारित अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें। **केवल हार्ड कॉपी आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने है।**
15. प्राप्त आवेदनों के आधार पर, मुख्यालय से निधि की आवश्यकता की मांग की जाएगी।

(यह उप निदेशक के दिनाकं 11 .04.2022 के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है)

लक्ष्मी शंकर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा अनुभाग

प्रति:

1. सूचना पट्ट/आर ए यूनिट
2. सभी अनुभाग – नियंत्रण अनुभाग कृपया पार्टी के सदस्यों को जानकारी भेज दें।
3. हिंदी अनुभाग - अनुवाद के लिए
4. वलेपअ /ईडीपी-इस कार्यालय के सभी पदधारियों को एसएमएस/ई-मेल भेजने तथा कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

एसएमएस मेसेज : आर ई वर्ष 2022-23 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 20.04.2022 है। आगे के विवरण हेतु अपने कार्यालयीन मेल आईडी का संदर्भ लेने की कृपा करें।

एचबीए आवेदन करते समय संलग्न आवश्यक दस्तावेज

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

2. निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित तथा अर्हता-प्राप्त अभियंता (सिविल) द्वारा हस्ताक्षरित बिल्डिंग प्लान एवं साइट प्लान होना चाहिए जो सहायक कार्यकारी अभियंता से कम नही हो।

3. फॉर्म -1 में उपरोक्त अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अनुमान का सार।

4. फॉर्म -2 में उपरोक्त अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित ब्यौरेवार अनुमान।

5. बिल्डिंग अनुज्ञप्ति (लाईसेंस)/अनुज्ञा पत्र (मूल प्रति)।

6. जी.ओ. द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित विक्रय/उपहार/समझौता/विभाजन विलेख (अंग्रेजी संस्करण में मूल प्रति+ जेरॉक्स प्रति)।

7.अधिपत्य प्रमाणपत्र।

8. 25 वर्षों से कम अवधि के लिए भूमि के संबंध में अद्यतन भार-रहितता प्रमाणपत्र।

यदि आवेदक /आवेदक की पत्नी/नाबालिग बालक द्वारा स्वामित्व हो, तो घर/संपंत्ति से संबंधित घोषणा। यदि जमीन के स्वामित्व पदधारी एवं पदधारी की पत्नी द्वारा हो तो पति या पत्नी की तरफ से एक पत्र, जो अग्रिम की वापसी के लिए सुरक्षा के तौर पर सं.क्त रुप से उनके जमीन/ संपंत्ति के हिस्से को गिरवी रखने की इच्छा दर्शाता हो।

10. अग्रिम के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रमाणपत्र (अनुलिपि)।

11. प्रस्तावित गृह के निर्माण हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति (ओई (ए) द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु।

12. नगर नियोजन न्यास/विकास प्राधिकरण का अनुमोदन।

13. सरकारी अधिवक्ता से स्पष्ट अदिकार पत्र प्रमाणपत्र। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

14.अन्तरण के मामले में,जिस तारिख को ऋण लिया गया एवं आवेदन की तिथि के अनुसार बकाया ऋण बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।